<u>न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बड्वानी</u> <u>समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय</u>

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 593/2008 संस्थित दिनांक—31.12.2008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र—अंजड्, जिला बड्वानी म.प्र.<u>अभियोजन</u>

वि रू द्व

भैक्तसिंह पिता हीरालाल भीलाला, आयु-37 वर्ष, जाति-भीलाला निवासी-ग्राम मण्डवाड़ा जिला बडवानी

.....अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	– श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	– श्री वाय.एस. भाटी अधिवक्ता ।

-: <u>निर्णय</u>:-

(आज दिनांक 16/12/2015 को घोषित)

- 1. अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 79 / 2008 में प्रस्तुत अभियोग—पत्र के आधार पर भा.द.वि. की धारा—224 का अपराध इस आधार पर विचारण योग्य है कि उसने दिनांक 26.04.08 को सुबह 3:30 बजे थाना अंजड़ से आयुध अधिनियम की धारा—25—27 में पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए उस अभिरक्षा से हथकड़ी के साथ निकलकर भागकर उक्त अपराध कारित किया ।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त को उक्त दिनांक के 3—4 दिन पहले से पूछताछ के लिये थाना अंजड़ पर लाया गया था ।
- 3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.08 को थाना अंजड़ के प्रधान आरक्षक बबनराव चौधरी ने थाना प्रभारी अंजड़ को यह लिखित रिपोर्ट की कि दिनांक 25.04.08 को वह तथा आरक्षक कुंवरिसंह नंबर 292 की ड्यूटी थाना अंजड़ में रात्रि में थी और शाम के समय उपस्थिति दर्ज करने के दौरान थाने के अपराध क्रमांक 75/08 धारा—25 आयुध अधिनियम के अभियुक्त भैरूसिंह उसकी अभिरक्षा में था, रात्रि लगभग 3:30 बजे अभियुक्त ने बाथरूम जाने के लिये कहा तो वह तथा आरक्षक कुंवरिसंह अभियुक्त को थाने के पीछे बनी संडास में ले गये, तो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से अभियुक्त धक्का देकर भाग गया, उसने और कुंवरिसंह ने अभियुक्त की आसपास तलाश कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अभियुक्त नहीं मिला और भाग गया, उसने इस घटना की सूचना तत्कालीन थाना प्रभारी जगरामिसंह कुशवाह, स.उ.नि. रघुवंशी और गश्त में लगे फोर्स को दी तथा थाना प्रभारी द्वारा अभियुक्त को नाकेबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन

अभियुक्त नहीं मिला व हथकड़ी के साथ भाग गया । उक्त प्र.पी.2 की लेखी रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 79/08 भा.द.वि. की धारा—224 का दर्ज किया गया । फरियादी बबनराव चौधरी एवं अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त की तलाश की गयी, किंतु वह नहीं मिला, अतः अभियुक्त के विरुद्ध उसकी अनुपस्थिति में यह अभियोग—पत्र न्यायालय में पेश किया गया तथा दिनांक 21.04.13 को अभियुक्त को न्यायालय द्वारा जारी किये गये गिरफ्तारी वारंट के पालन में न्यायालय में पेश किया गया ।

- 4. अभियोग—पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 224 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया । धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है ।
- 5. प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त दिनांक 26.04.08 को सुबह लगभग 3:30 बजे थाना अंजड़ में थाने के अपराध क्रमांक 78 / 08 धारा—25 आयुध अधिनियम में बबनराव की अभिरक्षा में रहते हुए उसकी अभिरक्षा से निकलकर भाग कर फरार हुआ ?
 - 2. निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?
- 6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी मुकेश (अ.सा.1), बबनराव चौधरी (अ.सा.2) कुंवरसिंह (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं ।

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 का निराकरण :-

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी कुंवरसिंह (अ.सा.3) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है, घटना वर्ष 2008 की है, उसकी ड्यूटी घटना दिनांक को थाना अंजड़ में प्रधान आरक्षक बबनराव के साथ रात्रि में थी, घटना दिनांक से 3 से 4 दिन पूर्व भेरूसिंह नामक व्यक्ति को थाने पर लेकर आए थे, रात्रि लगभग 3:30 बजे भेरूसिंह ने बाथरूम जाने की बात कही थी, उसे थाने के पीछे बाथरूम करवाने के लिये प्रधान आरक्षक बबनराव एवं वह लेकर गये थे, वहां से अभियुक्त भाग गया था, अभियुक्त के भाग जाने की सूचना थाना प्रभारी जगरामसिंह कुशवाह को दी थी।
- 8. साक्षी मुकेश (अ.सा.1) ने उक्त संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि वर्ष 2008 में अभियुक्त एवं उसकी पत्नी बच्चों के साथ उसके घर आये थे और रात रूके थे और वहां से चला गया था । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि उसने पुलिस को प्र.पी. 1 का कथन दिया था अथवा वह अभियुक्त को बचाने के लिये अभियुक्त के पक्ष में असत्य कथन कर रहा है ।

- साक्षी बबनराव चौधरी (अ.सा.२) जो कि प्रकरण का फरियादी भी है, का कथन है कि दिनांक 25.04.08 को वह थाना अंजड़ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था, उसके साथ आरक्षक कुंवरसिंह की ड्यूटी भी लगी थी । उक्त दिनांक के लगभग 8 दिन पूर्व थाना अंजड़ पर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिये तत्कालीन स.उ.नि. शंकरसिंह रघ्वंशी, आरक्षक आशीष पंडित, आरक्षक जीवन चांदोरे, आरक्षक स्रेश पाटीदार द्वारा लाया गया था । दिनांक 25.04.08 को रात्रि में थाने पर लाया गया व्यक्ति थाने से कहीं चला गया था और दिनांक 26.04.08 को 4 बजे तत्कालीन थाना प्रभारी जगरामसिंह कुशवाह तथा तत्कालीन उप पुलिस अधीक्षक तथा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के द्वारा उस पर दबाव डालकर एवं मानसिक रूप से प्रताडित करके यह कहा कि वह थाना प्रभारी के नाम से थाने पर बैठे हुए व्यक्ति के फरार हो जाने के बारे में आवेदन दे । साक्षी का यह कथन भी है कि उसने ऐसा कोई आवेदन देने से मना किया था तथा उसने यह बताया था कि थाने से जाने वाला व्यक्ति थाने के किसी अपराध में अभियुक्त नहीं था, वह आवेदन नहीं देगा, तब उक्त तीनों ही अधिकारियों ने गालीगलौज की, उसके द्वारा थाना प्रभारी के नाम से दिया गया आवेदन प्र.पी.2 का है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का यह भी कथन है कि उसकी रात्रिकालीन ड्यूटी थी, इसलिए लिखा-पढ़ी के कार्य की जिम्मेदारी भी उसकी थी, उसने थाने पर रखे रोजनामचे में इस संबंध में लिखा-पढ़ी की थी, किंत् तीनों व्यक्तियों ने उसके द्वारा रात्रि 22:00 बजे से रोजनामचे में दर्ज पेज को फाड़कर फैंक दिया गया तथा तथा उक्त अवधि का रोजनामचा सान्हा अन्य पुलिस वाले से लेखबद्ध कराया गया था, उक्त रोजनामचे सान्हा को न्यायालय में बुलाकर देखा जा सकता है ।
- अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी को पक्षविरोधी घोषित करने 10. पर सूचक प्रश्न पूछने पर बबनराव चौधरी ने स्पष्ट इन्कार किया है कि थाने से फरार व्यक्ति थाने पर अपराध क्रमांक 78 / 08 धारा-25 आयुध अधिनियम में अभियुक्त था, जिसे थाने पर सुरक्षा हेत् बैठाया गया था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि रात्रि 3 से 3:30 बजे के लगभग अभियुक्त भैरू को शौच लगने से वह एवं आरक्षक कुंवरसिंह उसे लेकर थाने के पीछे बने टायलेट में लेकर गये थे, जहां से अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर तथा धक्का देकर भाग गया था । इस सुझाव से भी इन्कार किया कि फरार अभियुक्त को उसने एवं आरक्षक कुंवरसिंह ने तत्काल पकड़ने की कोशिश की थी, किंतु वह भाग गया था, इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्र. पी.2 के लिखित आवेदन में बी से बी भाग की बात की अपनी स्वैच्छा से लिखा–पढी की है, साक्षी ने स्पष्ट किया कि उक्त बाते वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में लिखी थीं । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने अभियुक्त के फरार होने की सूचना थाना प्रभारी जगरामसिंह कुशवाह, स.उ.नि. रघुवंशी तथा गश्त में लगे फोर्स को दी थी । यहां तक कि साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने थाना प्रभारी जगरामसिंह कुशवाह को प्र.पी.3 का ए से ए भाग का कथन दिया था, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उक्त कथन थाना प्रभारी ने उससे बिना पूछे लिख लिया हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता । साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने जिन तीन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दबाव देकर आवेदर लिखवाने की बात बतायी है, उनकी किसी की शिकायत उसने पुलिस अधीक्षक या अन्य किसी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं की थी ।
- 11. इस प्रकार स्पष्ट रूप से बबनराव चौधरी (अ.सा.2) ने अपने द्वारा थाना प्रभारी को लिखित रूप में दी गयी रिपोर्ट प्र.पी.2 का न्यायालय के कथन के दौरान

स्पष्ट खंडन किया है तथा अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसके द्वारा अभियुक्त भैरू को थाने के अपराध कमांक 78/08 में थाने में रखा गया था । साक्षी ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्त उसकी अभिरक्षा से फरार हो गया था । यहां तक कि साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने प्र.पी.2 की रिपोर्ट में बी से बी भाग की बात वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में लेखबद्ध की थी, अभियोजन की ओर से उक्त साक्षी बबनराव (अ.सा.2) का खंडन करने के लिये प्रकरण के विवेचना अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी श्री जगरामिसंह कुशवाह का परीक्षण नहीं कराया गया, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि बबनराव चौधरी जानबूझकर अभियुक्त को बचाने के लिये उसके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है तथा उक्त साक्षी न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद भी अनुपस्थित रहा तथा प्रकरण पुराना होने के कारण अभियोजन की साक्ष्य समाप्त की गयी, ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे भा.द.वि. की धारा—224 के अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है अतः अभियुक्त भैरूसिंह पिता हीरालाल भीलाला आयु—37 वर्ष, निवासी ग्राम मंडवाड़ा को भा.द.वि. की धारा—224 के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

- 12. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं । प्रकरण में जप्त संपत्ति नहीं है ।
- 13. चूंकि साक्षी बबनराव चौधरी (अ.सा.2) ने घटना के समय पुलिस अधिकारी होने तथा ड्यूटी पर उपस्थित होने के बाद भी न्यायालय में अपने द्वारा कर्तव्य निर्वहन के दौरान लेखबद्ध की गयी प्र.पी.2 की रिपोर्ट झूठी लिखायी होने के संबंध में कथन किया है तथा अभियोजन के मामले का कोई भी समर्थन नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उक्त संबंध में तत्कालीन प्रधान आरक्षक थाना अंजड़ श्री बबनराव चौधरी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये उक्त निर्णय की एक प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक बड़वानी को भेजा जाना उचित प्रतीत होता है । अतः उक्त निर्णय की एक प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक बड़वानी की ओर उचित कार्यवाही हेतु भेजी जाए ।
- 14. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा—428 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्रेय) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड जिला–बडुवानी, म.प्र. (श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्रेय) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड्, जिला—बडुवानी, म.प्र.